

HIMACHAL PRADESH
JAL SHAKTI VIBHAG

No:- JSV-JSDP-CB-WA-NOC/2021-22- 20687-88

Dated:- 21-12-2022

To

The Project Director,
PIU-Vasant Vihar,
Dehradun-248006.

Subject:-

Consultancy Services for Feasibility Study/Detailed Project Report for the Project of Up-gradation and 4-lanning of Paonta Saheb-Ballupur (Dehradun) Section of NH-72 (Km 104.000 to Km 149.000) and bypass to Paonta Sahib (km 97.000 to km 104.000) in the state of Himachal Pradesh and Uttrakhand- Consent for Proposed Bridge at Yamuna River.

As desired by you vide your office letter No. NHAI/PIU-VSNT VHR/Ballupur-Ponta (DPR)/2019/3674 Dated 13.12.2022 addressed to the Superintending Engineer, Irrigation and Public Health Department, J.S.V. Circle, Nahan with copy to this office received from the office of Superintending Engineer, Jal Shakti Circle, Nahan on 19/12/2022 vide which your office has desired the approval of GAD proposed by the DPR consultant.

In this connection, it is intimated that this office has no objection for the construction of subject cited work.


Executive Engineer,
Jal Shakti Division,
Paonta Sahib (H.P.)

Copy to the Superintending Engineer, Jal Shakti Circle, Nahan for information and necessary action.

Executive Engineer,
Jal Shakti Division,
Paonta Sahib (H.P.)

Executive Engineer,
Jal Shakti Division,
Paonta Sahib.

कायालय आधेशासी अभियन्ता
जानपद निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०
खारा-बादशाहीबाग (सहारनपुर)

Attachment-E

पत्रांक: 40 / जा०नि०ख० / NHA
परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
प.क.ई.-वसन्त विहार (देहरादून)
म.न.-171-फेस-1
वसन्त विहार, देहरादून (248006)।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (देहरादून) NHA, PIU-Vasant Vihar (Dehradun)
द्वारा प्राप्त/Received by: [Signature]
सं०/No. 2855
दिनांक/Date: 09/05/22

दिनांक: 02/5/22

विषय:- उत्तराखण्ड एवं हिमाचल राज्य अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब-बल्लूपुर देहरादून) के पांवटा साहिब बाईपास के किमी० 97.000 से किमी० 104.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु खारा शक्ति नहर (डिजाईन चैनल 3+585) पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक सं० NHA/PIU-VSNT-VHR/22021/Ballupur-Ponta (DPR)/2020/1806 दिनांक 17.02.2021 का सन्दर्भ का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से आपके द्वारा विषयगत प्रकरण पर मांगी गई अनापत्ति के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रस्तावित पुल निर्माण के लिए अनापत्ति प्रदान की जाती है।

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कैनल लाईनिंग पर प्रस्तावित निर्माण की IIT, Roorkee से Stability analysis करवाकर रिपोर्ट उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० को उपलब्ध करायेगा और उक्त Stability analysis रिपोर्ट में खारा शक्ति नहर की सुरक्षा हेतु जो भी सुझाव दिये जायेंगे, उसके अनुसार समस्त सुरक्षात्मक कार्य NHA द्वारा स्वयं के व्यय पर करवाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खारा शक्ति नहर पर पुल निर्माण कार्य खारा शक्ति नहर को बिना क्लोजर के सम्पन्न कराया जाये ताकि परियोजना से विद्युत उत्पादन बाधित न हो। यदि उक्त कार्य हेतु खारा शक्ति नहर का क्लोजर आवश्यक ही हो, तब नहर बन्दी की अवधि में खारा जल विद्युत गृह से होने वाली विद्युत उत्पादन की हानि की प्रतिपूर्ति भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बिना किसी शर्त के उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० को की जायेगी।
3. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खारा शक्ति नहर पर पुल निर्माण हेतु यदि निगम के भूमि की आवश्यकता पड़ती है, तो उ०प्र० शासन के अनुमोदन के उपरान्त ही निर्धारित दर पर निगम द्वारा नहर की सुरक्षा को देखते हुए भूमि लीज पर दी जा सकती है।
4. निर्माण कार्य के दौरान सम्बन्धित फर्म द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी प्रकार की निर्माण समग्रि अथवा मलबा खारा शक्ति नहर में नहीं डाला जायेगा।
5. NHA/ सम्बन्धित फर्म उपरोक्त पुल निर्माण के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
6. उपरोक्त पुल निर्माण के कारण यदि खारा शक्ति नहर को कोई क्षति अथवा टूट-फूट होती है, तो उससे सम्बन्धित समस्त कार्य तत्समय NHA द्वारा स्वयं के व्यय पर करवाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(शिव नारायण)

अधिशाली अभियन्ता

पत्रांक: / जा०नि०ख० /

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता, (परि० एवं अनु०), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, 12वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ
2. अधीक्षण अभियन्ता, जल विद्युत उत्पादन मण्डल, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, खारा-बादशाहीबाग, सहारनपुर।

Y.D-03

परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प०आई०ए०-वसन्त विहार, देहरादून

for

09/05/22

SE-I 19/05/22

(शिव नारायण)

अधिशाली अभियन्ता

forward to [Signature]